खंड 1 संख्या 136

राष्ट्र महिला

नवम्बर 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

'कार्यस्थल पर उत्पीड़न से महिलाओं की संरक्षा विधेयक 2010' को संसद में पेश किए जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा रज़ामन्दी दिए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की एक बड़ी जीत के रूप में इसकी सराहना की है। आयोग ने विभिन्न संबंधित पक्षों में विस्तृत परामर्श करने के बाद वर्ष 2004 से एक मसौदा विधेयक सरकार को भेजा था। आयोग आशा करता है कि यह विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित होकर कानून बन जायेगा।

प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत, महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़ित किए जाने के विरुद्ध शिकायत दायर करने का एक मंच मिल जायेगा। इस उत्पीड़न में भौतिक सम्पर्क, यौन अनुग्रह की मांग अथवा निवेदन, यौन रंजित टिप्पणी या अश्लील सामग्री दिखाना भी शामिल है। यह कानून सभी संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा और इसका पालन न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध इसमें दंड का प्रावधान है।

विधेयक में महिलाओं को मुआवज़ा दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। मुआवज़ा दोषी व्यक्ति के वेतन से काटा जा सकता है। उत्पीड़न साबित हो जाने पर, दंड की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि पीड़ित को कितनी मानसिक पीड़ा और आघात पहुंचा है, उसकी आय तथा आर्थिक औहदा क्या है, चिकित्सा पर उसका कितना व्यय हुआ है और घटना के फलस्वरूप उसके कैरियर को क्या हानि पहुंची है।

चर्चा में — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विधेयक, 2010

विधेयक की परिधि में सभी निजी उद्योग, उपक्रम, संस्थान, प्रतिष्ठान, सोसायटियां, ट्रस्ट, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदायी अथवा वित्तीय कार्यवाही रत एकक या सेवा प्रदायक शामिल होंगे जिनमें अस्पताल और नर्सिंग होम भी आते हैं।

पीड़ित की नितांत गोपनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विधेयक में कहा गया है कि मीडिया या जनता को शिकायतकर्ता अथवा शिकायत के बारे में 'किसी भी प्रकार से' कोई सूचना जाहिर नही की जायेगी।

प्रस्तावित विधेयक में सभी नियोजकों से महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने को कहा गया है और जो नियोजक इस अपेक्षा का उल्लंघन करेंगे वे 5,000 रुपए के जुर्माने के भागी होंगे।

विधेयक में न केवल महिला कर्मचारियों को अपितु उन महिलाओं को भी संरक्षा प्रदान की गयी है जो कार्यस्थल पर ग्राहक, आसामी, शिक्षार्थी, दिहाड़ी कामगार अथवा एतदर्थ प्रयोजन से आते हैं।

पारित हो जाने पर, यह विधेयक आश्वस्त करेगा कि सभी कार्यस्थलों पर, चाहे ये सरकारी हों या निजी या असंगठित, महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षा मिले। इससे महिलाओं में लिंग समानता, जीने तथा स्वतंत्रता के अधिकार और सभी स्थानों पर कार्य की दशाओं में समानता की भावना जागृत होगी। कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना से निश्चय ही काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी जिससे उनका सशक्तिकरण एवं समेकित विकास होगा।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, लिंग समानता के बारे में भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है। वास्तव में, अफगानिस्तान को छोड़ कर, भारत का स्थान इस मामले में दक्षिण एशिया के सभी देशों से नीचा है।

मातृत्व मृत्यु-दर में भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले नीचे है। जबकि पाकिस्तान में प्रति 1,00,000 जीवित पैदा बच्चों में से 320 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, भारत में यह संख्या 450 है। भारत में व्ययप्राप्तों की प्रजननता दर प्रति 1,000 जीवित पैदाइशों पर 68 है, पाकिस्तान में यह दर 45 है।

अध्यक्षा का प्रेस सम्मेलन

19 नवम्बर, 2010 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म-दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने महिलाओं की दशा सुधारने की दिशा में आयोग द्वारा उठाए गये विभिन्न कदमों से मीडिया को अवगत कराने के लिए एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म समारोह के अवसर पर अध्यक्षा उनकी मूर्ति को माला पहनाते हुए

अध्यक्षा ने बताया कि आयोग ने 'महिलाओं का अशोभनीय चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986' की परिधि विस्तारित करने के लिए इसकी समीक्षा की ताकि 'अशोभनीय चित्रण' की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाये और दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बना कर जुर्माना एवं कारावास और कभी-कभी दोनों को शामिल किया जाये और तद्नुसार अब श्रव्य-दृश्य मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एसएमएस, एमएमएस चिप्स तथा इंटरनेट पर भी लागू होना चाहिए। प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी, मीडिया ग्रुप, प्रोडक्शन हाउस को एक स्व-नियामक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। महिलाओं के अशोभनीय चित्रण को विनियमित करने अथवा निषिद्ध करने के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकार गठित किया जाना चाहिए।

टीवी पर दिखाये जाने वाले दो रियल्टी शो *बिग बॉस* तथा *राखी का इंसाफ* पर जनता के रोष के कारण यह मांग उठी है। डॉ. व्यास ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता, ऐसे शो दिखाए जाते रहेंगे।

लड़कियों की विवाह-योग्य आयु पर बोलते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि उपयुक्त विवाह-योग्य आयु पर अपनी सिफारिश देने से

प्रेस को सम्बोधित करते हुए अध्यक्षा। मंच पर (बायें से) सदस्य-सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी, सुश्री रंजना कुमारी, सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री वानसुक सयीम

पूर्व उन्होंने रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों से राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श किया था।

लड़कियों की विवाह-योग्य आयु में स्पष्टता लाने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि विवाह की न्यूनतम अनुमत आयु के बारे में अनेक कानूनों में परस्पर विरोधी प्रावधान होने के कारण, हाल ही में बाल विवाहों संबंधी मामलों में न्यायालयों ने इन कानूनों की विविध व्याख्या की है। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के लिए, आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि लड़कियों की न्यूनतम विवाह-योग्य आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की जाये।

उन्होंने बताया कि सामाजिक शोध केन्द्र के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे 6 राज्यों में जहां बाल विवाह प्रथा जोरों पर है कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

बलात्कार पीड़ितों पर बोलते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि इस मुद्दे पर रुचि रखने वाले सभी पक्षों के साथ भारत भर में व्यापक परामर्श करने के बाद आयोग ने इन पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की योजना का मसौदा केन्द्र सरकार को भेजा है।

इस योजना में आयोग ने 20,000 रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता तथा 50,000 रुपये तक की समर्थन सेवाएं दिए जाने की सिफारिश की है। अंतिम राशि 1.3 लाख रुपये होगी जोकि प्रभावित व्यक्ति द्वारा मुकदमे में साक्ष्य दिए जाने की तिथि से एक मास के अंदर या एफआईआर दायर किए जाने के एक वर्ष के अंदर (जो भी कम हो) सीधे जिला बोर्ड द्वारा दी जायेगी।

विशेष मामलों में, जहां बलात्कार की शिकार नाबालिग, मस्तिष्क-विकृत, अपंग, एचआईवी/एड्स प्रभावित लड़कियां या महिलाएं हैं या जो बलात्कार के फलस्वरूप गर्भवती हो गयी हैं, राज्य के बार्ड द्वारा यह राशि बढ़ा कर 3 लाख रुपये तक की जा सकती है।

'बिहार के पांच जिलों में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर' शीर्षक पुस्तक का भी डॉ. व्यास ने विमोचन किया। बाद में, उन्होंने 'सतर्कता जागरण सप्ताह' के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया।

श्री विभाष त्रिपाठी, श्री हरिशंकर, सुश्री जसविंदर कौर और श्री बी.के. अस्थाना क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार ग्रहण करते हुए

सदस्यों के दौरे

सदस्य यास्मीन अब्रार कोटा के सेंट्रल जेल में महिला बंदियों की दशा का जायजा लेने गयीं। जेल के महिला प्रभाग में 23 महिला बंदी थीं। जेल की दशा सामान्यतः स्वच्छ और अच्छी थी। परन्तु सब महिलाओं को एक ही हॉल अलॉट किया गया था जिससे वहां भीड़भाड़ का माहौल था। यहां सभी बंदी विचाराधीन और विवाहित थीं और चार महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे। बंदियों को मनोरंजन तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं थीं और योग भी सिखाया जाता था।

सुश्री अब्रार ने सुझाव दिया कि महिला प्रभाग का चौका अलग होना चाहिए जिससे भोजन की गुणता में सुधार होगा। महिलाओं को सिलाई, बुनाई और चिकिन का काम सिखाया जाना चाहिए तथा बच्चों को शिक्षा संबंधित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

सुश्री अब्रार महिला बंदियों से बात करते हुए

- **दहेज के लिए सताई गई महिला को दहेज देने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता : उच्च न्यायालय**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दहेज के लिए सताई गई किसी महिला को दहेज देने के जुर्म में दंडित नहीं किया जा सकता।

अब तक, पति तथा उसके परिवार को एक ऐसा हथियार मिला हुआ था जिसके कारण पत्नी या उसके माता-पिता दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने में संकोच करते थे, अर्थात् दहेज देना भी जुर्म होने के कारण उन पर दहेज देने का मामला दायर किया जा सकता था। किन्तु अब नहीं।

न्यायालय ने कहा 'परिस्थितियों के शिकार' किसी व्यक्ति को अपनी विवशता के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। दहेज निषेध अधिनियम में भी ऐसे उपबंध हैं। इसलिए यदि कोई पुरुष यह शिकायत दर्ज कराए कि महिला ने अपने बयान में कहा है कि उसके परिवार ने दूसरे पक्ष की दहेज की हर मांग पूरी की तो इसको महिला या उसके परिवार के विरुद्ध मामला दायर किए जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वे 'परिस्थितियों के शिकार' थे और क्या उन्हें (दूल्हे के परिवार द्वारा उत्पन्न) धमकी की स्थिति की सामना करना पड़ा था।

- **पत्नी पर बलात्कार की आयु 18 वर्ष निर्धारित**

पत्नी के साथ बलात् संभोग करने को बलात्कार माने जाने की अधिकतम आयु सरकार ने 18 वर्ष निर्धारित की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता में बिना आयु सीमा अपराध के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी।

- **जुड़वां बच्चे पैदा होने के मामले में मातृत्व अवकाश को बच्चों की संख्या के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता**

मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि कोई सरकारी महिला कर्मचारी अपने पहले प्रसव में ही जुड़वां बच्चों को जन्म दे तो दूसरे प्रसव में उसका मातृत्व अवकाश इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि पहले से ही उसके दो जीवित बच्चे मौजूद हैं।

- **विवाह का झूठा वायदा करके संभोग करना बलात्कार है : न्यायालय**

मुंबई के एक सेशन न्यायालय ने यह कहते हुए कि विवाह का झूठा वायदा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार करने के समान है, एक 20 वर्षीय पुरुष को अपने सह-कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया। अतिरिक्त सेशन जज ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है और उसके लिए कष्ट की एक कड़ी पीछे छोड़ दी है और उस व्यक्ति को बलात्कार तथा धोखेबाजी के आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया।

स्तन कैंसर पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन

नम्रता सिंह गुजराल द्वारा कैंसर, विशेषकर स्तन कैंसर, के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई फिल्म 1A Minutes हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शित की गयी। इसमें कैंसर पीड़ित कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं का कैंसर के विरुद्ध संघर्ष दिखाया गया है जिसमें वे अपने अनुभव बयान करती हैं। यूनिग्लोब एन्टरटेनमेंट ने राष्ट्रीय महिला आयोग तथा नर्गिस दत्त मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग में फिल्म का प्रदर्शन आयोजित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि '1A Minute अभियान से जुड़ने में मुझे बड़ा हर्ष है। हम आशा करते हैं कि यह फिल्म विश्व भर में लोगों को कैंसर की गम्भीरता की स्थिति का ज्ञान कराने में सफल होगी। सारे विश्व में स्तर कैंसर के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण अब समय आ गया है जब लोग इसे नियंत्रित करने की दिशा में दृष्टि डालें। मैं चाहती हूं कि लोग आयें, इस फिल्म को देखें और हर तरीके से इसका समर्थन करें क्योंकि एक छोटा सा कदम ऐसे सहस्रों सामान्य व्यक्तियों का जीवन बचा सकता है जो धन की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते।'

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।